छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी0 3सी0, 244–245, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर–27, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 30/10/2017

क्रमांक 59 ''भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996'' सहपठित ''छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008'' के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है:–

(अ) **योजना का प्रावधान** :–

(i) योजना का नाम **"मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक के बच्चों हेतु वस्त्र प्रदाय योजना"** होगा।

(ii) पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को 01–01 सेट कपड़ा (स्कूल ड्रेस के अतिरिक्त) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा वर्ष में 01 बार देय होगा।

(iii) योजना के तहत् मंडल द्वारा थोक में कपड़े की खरीदी की जावेगी।

(iv) थोक में सिलाई करवाने के पूर्व कपड़े की कटिंग हेतु ऑटोमेटिक कटिंग मशीन क्रय किया जायेगा।

(v) ऑटोमेटिक कटिंग मशीन से कपड़े की कटिंग छोटा (Small), मध्यम (Middle) एवं बड़ा (Large) आकार के कपड़ों की एक साथ कटिंग कर सिलने हेतु मंडल से प्रशिक्षित महिलाओं को दिया जावेगा।

(vi) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगें।

(ब) **योजना हेतु पात्रता** :–

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक होगा।

(ii) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा उपरोक्त कपड़ा कटिंग कर मंडल द्वारा प्रशिक्षित महिलाओं को सिलाई हेतु प्रदाय किया जावेगा एवं प्रति ड्रेस हेतु रूपये 50/– सिलाई शुल्क देय होगा।

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया**

(i) आवेदक को स्वयं के हस्ताक्षर से आवेदन करना होगा।

(ii) आवेदन में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

P.T.O.

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना होगा।

(द) **स्वीकृति का अधिकार :–**

योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा।

(ई) **विसंगति का निराकरण–**

योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर

पृ0क्र0 / / 2431 - 2439 नया रायपुर, दिनांक 30/10/17

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ नया रायपुर
5. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी ....(छ0ग0)
6. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)
7. एनआईसी शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
8. लेखा शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर
9. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

30/10/2017

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर